



UPFD010004132017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद
 उपस्थित --इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
 विशेष सत्र वाद सं०- 44/2017

राज्यअभियोजनपक्ष

बनाम

- 1- राजू पुत्र रनवीर सिंह यादव,
- 2- शुभकेश पुत्र बैजनाथ यादव,
- 3- चन्द्रवेश पुत्र बैजनाथ यादव,
- 4- रिषीकेश पुत्र बैजनाथ यादव,
- 5- प्रदीप पुत्र इन्द्रपाल,

समस्त निवासीगण- ग्राम डाहिनी, थाना शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद।

.....अभियुक्तगण

धारा- 147,149,323,504,506 भा०द०सं०
 व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 थाना- शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद।
 अपराध संख्या- 1121/2016,

निर्णय

1. उपरोक्त विशेष सत्र -परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 1121/2016 में अभियुक्तगण राजू, शुभकेश, चन्द्रवेश, रिषीकेश एवं प्रदीप के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा 147,323,504,506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)द, ध एस०सी०/ एस०टी० एक्ट, के आधार पर संस्थित होकर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी ओमहरी पुत्र सोनपाल, निवासी- ग्राम डाहिनी, थाना शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद वादी/(Informant) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय के आदेश से थाना शिकोहाबाद पर प्रदर्श क-1 निम्न आशय का प्रस्तुत किया गया है कि-

“निवेदन यह है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति जाटव जाति का व्यक्ति है एवं अभियुक्तगण यादव जाति के हैं। दिनांक 10-09-2016 को समय

करीब 11.00 बजे दिन वह अपनी दुकान के लिये घर से जा रहा था उसी समय रास्ते में राजू पुत्र रनवीर ने अफने घर के सामने रोक लिया तथा उसे गाली गलौज करते हुये कहा कि साले चमरे बहुत नोतागिरी करता है, किसी की बात नहीं सुनता है, आस पास खड़े शुभकेश, चन्द्रवेश, रिषीकेश पुत्रगण बैजनाथ व प्रदीप पुत्र इन्द्रपाल आ गये तथा एक राय होकर सभी बोले इस साले चमरा के ज्यादा दिमाग खराब हो गये हैं, औकात में नहीं रहता है तथा लात, घुंसां से मारपीट करने लगे, उसने शोर किया तो गांव के बन्टी, मानपाल व अन्य लोग आ गये, जिन्होंने उसे बचाया नहीं तो यह लोग जान से मार देते। जाते समय यह लोग धमकी दे गये कि साले आज बचा लिया अभकी बार उसे जान से मारकर ही छोडेगे। घटना की रिपोर्ट करने थाने पर गया तो डाक्टरी मुआयना कराया लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी तथा घटना से बचने के लिये मुल्जिमान ने राजनीति के दबाव के कारण पुलिस से मिलकर सूर्या से एक झूठी रिपोर्ट लिखवाकर उसे जेल भेज दिया गया। उसने दिनांक 14-09-16 को डाक से अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक व डी०आई०जी० महोदय आगरा को भेजी लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

3. उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० प्रदर्श क-1 पर न्यायालय के आदेश से थाना शिकोहाबाद पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 1121/2016, अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांकित 13-12-2016 को प्रदर्श क-2 के रूप में अभियुक्तगण राजू, शुभकेश, चन्द्रवेश, रिषीकेश एवं प्रदीप के विरुद्ध पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (G.D.) में गयी, जिसकी प्रति पत्रावली पर प्रदर्श क-3 है।

4. विवेचना अग्रसारित करते हुए विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण राजू, शुभकेश, चन्द्रवेश, रिषीकेश एवं प्रदीप के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-5 प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्तगण को नकले प्राप्त करायी गयी। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त पर्याप्त आधार पाये जाने पर अभियुक्तगण राजू, शुभकेश, चन्द्रवेश, रिषीकेश एवं प्रदीप के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 147,323/149,504,506 भा०दं०सं०, व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांक 20-08-2019 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

6. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 ओमहरी	वादी मुकदमा (Informant)
2	PW-2 बन्टी	(चश्मदीद साक्षी)
3	PW- 3 मान पाल सिंह	(चश्मदीद साक्षी)
4	PW- 4 देवेन्द्र सिंह	चिक लेखक
5	PW- 5 हरेन्द्र कुमार	द्वितीयक साक्षी

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं०	प्रदर्श क- 1
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)	प्रदर्श क- 2
3	जी०डी०	प्रदर्श क- 3
4	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 4
5	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 5

8. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्तगण गवाही रंजिशन दिया जाना तथा मुकदमा पेशबंदी में चलाया जाना बताया।

धारा 147 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- यह कि पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव था,
- यह कि ऐसा जमाव भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 में उल्लिखित पांच उद्देश्यों में से एक रखने के कारण, जब यह आयोजित किया गया था, विधिविरुद्ध था या तत्पश्चात् विधिविरुद्ध हो गया था,
- यह कि ऐसा उद्देश्य ऐसे जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य था,
- यह कि अभियुक्त या ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य ने बल या हिंसा का प्रयोग किया; एवं,
- यह कि ऐसा बल या हिंसा का प्रयोग ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया गया था,

धारा 149 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- यह कि अपराध विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कारित किया गया था; एवं
- यह कि ऐसा अपराध उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कारित किया गया था; एवं,

(iii) यह कि कारित किया गया अपराध ऐसा होना चाहिए जिसे उस जमाव के सदस्य कारित किया जाना संभाव्य जानते थे।

धारा 323 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने वास्तव में परिवादकर्ता को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित किया;
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा उपहति कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उपहति कारित किया जाना संभाव्य है, किया।

धारा 504 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा साशय किया-
- (iii) यह कि उसने तदद्वारा उस व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन किया
- (iv) यह कि वह आशय रखता था या जानता था कि यह संभाव्य है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा

धारा 506 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति आदि को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें पूर्ववर्ती हितबद्ध हो, क्षति कारित करने की धमकी दिया,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध के पीड़ित व्यक्ति को चेतावनी देने के आशय से किया, एवं-
- (iii) यह कि उसने ऐसा इस कारण से किया कि पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करें या करने का लोप करें जिसे करने के लिए वह विधिपूर्वक बाध्य न हो।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

उपधारा धारा (द)- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभिन्नस्त करेगा,

उपधारा धारा (ध)- लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली-गलौज करेगा।

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुमनि से, दंडनीय होगा।

9. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 1 ओमहरी को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“दिनांक 10-09-16 की घटना है। समय 11.00 बजे दिन का था। मैं घर से निकल कर अपनी दुकान जा रहा था। राजू ने अपने घर के सामने मुझे रोक लिया था। कहने लगा कि साले चमरे तेरे ज्यादा दिमाग खराब हो गये है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा और मुझे जमीन पर डालकर शुभकेश, चन्द्रवेश, रिषीकेश, प्रदीप इकट्ठे होकर एक राय होकर मारने लगे। मैं चिल्लाया तभी बन्टी, मानपाल और गांव के लोग आ गये। उन्होंने मुझे बचाया था, नहीं तो उपरोक्त मुल्जिमान मुझे जान से मार देते। जाते समय धमकी दे गये कि आज तो बचा लिया है अबकी बार जान से मार देंगे। मेरे साथ सभी लोगों ने लात, घूंसों से मारपीट की थी। मारपीट में मेरे चोटें आई थी। मेरी चोटों का डाक्टरी परीक्षण सरकारी अस्पताल फिरोजाबाद में हुआ था। मैं थाना रिपोर्ट कराने गया था। थाना पर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। उसके बाद मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था। मैं थाना गया था तो मेरी दरोगा जी ने रिपोर्ट नहीं लिखी थी और मुझे झूठी रिपोर्ट लिखकर अपनी राजनीति से मुझे जेल भेज दिया था। उसके बाद मैंने जमानत करायी थी। तब थाना गया था। पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को मैंने रजिस्ट्री की थी। उसके बाद रिपोर्ट न लिखे जाने के कारण मैं न्यायालय आया था और वकील के माध्यम से मैंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र रिपोर्ट कराने के लिए दिया था। जिसकी तलवीदा पत्रावली 156(3) द०प्र०सं० प्रकीर्ण वाद 561/16 पत्रावली पर दाखिल है। इस प्रार्थना पत्र 156(3) द०प्र०सं० पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। तलवीदा पत्रावली को देखकर कागज सं० 3 अ/3 लगायत 3 अ/5 है। मूल पत्रावली तलवीदा पत्रावली में मूल **प्रार्थना पत्र 156(3) द०प्र०सं० पर प्रदर्शक-1** अंकित किया गया।”

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 बन्टी को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“घटना दिनांक 10-09-16 की है। समय 11.00 बजे दिन का था। मैं अपने खेत पर जा रहा था। वहाँ पर झगड़ा हो रहा था। वहाँ पर ओमहरी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। ओमहरी से पाँच लोग राजू, शुभकेश, चन्द्रकेश, रिषीकेश, प्रदीप मार रहे थे। लात, घूंसों से मारपीट कर रहे थे कि साले चमरे ज्यादा नेता बनता है। आज तो छोड़ दिया है। अबकी बार जान से

मार देंगे। मैंने बीच बचाव किया था। तब यह सभी लोग ओमहरी को जान से मारने की धमकी देकर चले गये। सी०ओ० साहब ने मेरे बयान लिया था।"

अभियोजन पक्ष की पी०डबलू० 3 मानपाल सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 10-09-2016 की है। समय 11.00 बजे दिन की है। मैं अपने घर से काम पर जा रहा था। मैंने देखा कि ओमहरी चिल्ला रहा है। उसकी आवाज सुनकर मैं उसके पास पहुँचा था। उसके पास राजू, शुभकेश, चन्द्रकेश, रिषीकेश, प्रदीप थे। यह सभी लोग ओमहरी को लात, धूसों से मार रहे थे और गाली दे रहे थे कि तू साला चमरा बहुत बड़ा नेता बनता है। मेरे साथ बन्टी भई थी। मैंने ओमहरी को बचाया था तथा बन्टी ने भी ओमहरी को बचाया था। यह लोग ओमहरी को जान से मारने की धमकी देकर चले गये थे। सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था।"

अभियोजन पक्ष की पी०डबलू० 4 924 सी०सी० देवेन्द्र सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 13-12-16 को थाना शिकोहाबाद में कान्सटेबल क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन माननीय न्यायालय के आदेश से वादी मुकदमा ओमहरी पुत्र सोनपाल निवासी डाहिनी थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद के माननीय न्यायालय के 156(3) द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र व आदेश के आधार पर मु०अ०सं० 1121/2016 धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम राजू आदि पाँच नफर मुल्जिमान के विरुद्ध कम्प्यूटर पर HCP शिवराज सिंह के बोलने पर मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टंकित किया गया था एवं चिक FIR पर थाना अधिकारी के हस्ताक्षर भी कराये थे। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/1 लगायत 3 अ/2 चिक FIR है जो कि मेरे द्वारा टंकित की गयी है। इस की मैं शिनाख्त करता हूँ। इस **चिक FIR पर प्रदर्श क-2** अंकित किया गया। जिसका खुलासा मैंने उसी दिन एक ही क्रम में रोजनामाचा आम में किया था। जिसका रपट नं० 27 समय 14.40 बजे उक्त दिनांक को ही किया था। जी०डी० पर मैंने हस्ताक्षर किये थे। जी०डी० को मैं प्रमाणित करता हूँ। **जी०डी० पर प्रदर्श क-3** अंकित किया गया। जी०डी० पर हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ।"

अभियोजन पक्ष की पी०डबलू० 5 हेड का० 23 हरेन्द्र कुमार को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं वर्ष 2016 में थाना सिरसागंज में बतौर पैरोकार के पद पर तैनात था। इस घटना के **विवेचक क्षेत्राधिकारी वी०के० तिवारी मेरे सर्किल सिरसागंज में तैनात रहे हैं। विवेचक वी०के० तिवारी की मृत्यु हो चुकी है। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृत्यु रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल है। क्षेत्राधिकारी**

विवेचक वी०के० तिवारी के दफ्तर में मैं आता -जाता रहा हूँ। इनको हस्ताक्षर करते मैंने देखा है। इनके हस्ताक्षरों को मैं भली भांति पहचानता हूँ। इस घटना की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री वी०के० तिवारी द्वारा की गयी है। जिसका मु०अ०सं० 1121/2016 धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम राजू आदि चार नफर के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया है। इस घटना का नक्शा नजरी पत्रावली पर कागज सं० 5 अ है जो क्षेत्राधिकारी श्री वी०के० तिवारी के हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, **नक्शा नजरी पर प्रदर्श क-4** अंकित किया गया। आरोप पत्र पत्रावली पर कागज सं० 4 अ/1 लगायत 4 अ/7 है। इस पर विवेचक श्री वी०के० तिवारी के हस्ताक्षर है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इस **आरोप पत्र पर प्रदर्श क-5** अंकित किया गया।

10. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

11. प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण ने अपने उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरुद्ध जमाव किया ? क्या सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में वादी मुकदमा ओमहरी को लात, घूसों से मारपीटकर साशय उपहति कारित की ? क्या अभियुक्तगण ने साशय गंदी-गंदी गालियां देकर प्रकोपित एवं अपमानित किया ? क्या जान से मारने की धमकी दिया ? अग्रेतर प्रश्न यह भी है कि क्या अभियुक्तगण ने यह जानते हुए कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है, लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जाति सूचक गाली-गलौज कर अपमानित किया ?

12. प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 10-09-2016 को समय 11.00 बजे ग्राम डाहिनी थाना शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद की है। वादी ओमहरी उस समय घर से दुकान के लिए जा रहा था। अभियुक्त राजू पुत्र रनवीर ने घर के सामने रोक लिया। गाली-गलौज करते हुए कहा कि चमरा तू बहुत नेतागिरी करता है, किसी की बात नहीं सुनता है। पास में खड़े शुभकेश, चन्द्रवेश, रिषीकेश व प्रदीप आ गये। एक राय होकर बोले कि साले चमरा ज्यादा दीमाग खराब हो गये हैं, औकात में नहीं रहता है। लात, घूसों से मारपीट करने लगे। शोर मचाने पर गांव के बंटी पुत्र शुभकेश व मानपाल व अन्य लोग आये और बीच-बचाव किया। अभियुक्तगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी दिया। उस दिन वादी घटना की सूचना देने थाना पर गया, किन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। घटना से बचने के लिए अभियुक्तगण ने राजनीतिक दबाव के कारण सूर्या से झूठी रिपोर्ट लिखवाकर जेल भिजवा दिया। घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13-12-16 को समय 14.40 बजे पंजीकृत की गयी। उसकी प्रविष्टि रपट सं० 27 में रोजनामचाआम में समय 14.40 बजे की गयी। बचाव पक्ष की ओर से यह

तर्क दिया गया कि घटना के सम्बन्ध में वादी द्वारा अनुचित विलम्ब कारित किया गया है और सोच, विचार कर झूठा मुकदमा लिखाया गया है। उल्लेखनीय है कि जिस दिन का घटनाक्रम है उसी दिन वादी को किसी अन्य मुकदमें में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। रिहा होने के उपरान्त वादी ओमहरी ने प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं० 561/16 अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आदेश दिनांक 04-11-2016 पारित किया गया और प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष शिकोहाबाद को सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत करने के बाबत आदेशित किया गया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। इस सम्बन्ध में वादी पी०डब्लू० 1 ओमहरी ने अपने बयान में विस्तारपूर्वक कथन किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी का० कूर्क देवेन्द्र पी०डब्लू० 4 ने भी अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि दिनांक 13-12-2016 को थाना शिकोहाबाद में का० कूर्क के पद पर तैनात था। उस दिन न्यायालय के आदेश से वादी मुकदमा ओमहरी पुत्र सोनपाल, निवासी ग्राम डाहिनी, थाना शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद के न्यायालय के के आदेश के आधार पर मुकदमा अ०सं० 1121/2016, धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम राजू आदि कुल पाँच अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। कम्प्यूटर पर HCP 11 शिवराज सिंह के बोलने पर मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टंकित किया गया। चिक FIR पर अधिकारी के हस्ताक्षर भी कराये गये। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट 3 अ/1 व 3 अ/2 उनके द्वारा टंकित की गयी। **चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क-2** अंकित किया गया। अग्रेतर उसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम जी०डी० में रपट सं० 27 समय 14.40 बजे की गयी थी। जी०डी० पर प्रदर्श क-3 अंकित किया गया। स्पष्ट है कि वादी की ओर से घटना के सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर सूचना देने में कोई विलम्ब नहीं कारित किया गया। अपितु स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत नहीं किये जाने के कारण वादी पी०डब्लू० 1 ओमहरी को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और न्यायालय के आदेश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि वादी की ओर से मुकदमा पंजीकृत कराये जाने में अथवा अभियोजन की ओर से कोई अनुचित विलम्ब कारित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत किये जाने का स्पष्ट एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध है।

वादी पी०डब्लू० 1 ओमहरी ने अपने शपथपूर्वक बयान में भी कहा कि घटना दिनांक 10-09-16 को समय 11.00 बजे दिन की है। वह घर से निकल कर अपनी दुकान पर जा रहा था। **अभियुक्त राजू** ने अपने घर के

सामने वादी को रोक लिया और कहा कि चमरा साले तेरा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है। जमीन पर गिरा लिया। उसी समय शुभकेश, चन्द्रवेश, रिषीकेश एवं प्रदीप इकट्ठे होकर वादी को मारने लगे। वादी के चिल्लाने पर बंटी, मानपाल व अन्य लोग आ गये और बचाया। जाते समय अभियुक्तगण द्वारा धमकी दी गयी कि अगली बार जान से मार देंगे। अभियुक्तगण द्वारा वादी को लात, घूंसों से मारापीटा गया। मारपीट में वादी को चोटें आईं। वादी पी०डब्लू० 1 ने चोटों का डाक्टरी परीक्षण फिरोजाबाद में कराये जाने का कथन किया, किन्तु मेडिकल रिपोर्ट न तो उबलब्ध कराई गयी और नाही उसे साबित किया गया है। मुकदमा दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में कहा कि वह थाना पर गया रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। तब न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। धारा 156(3) द०प्र०सं० के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र की मूल पत्रावली को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया है। बचाव पक्ष की ओर से घटना के सम्बन्ध में वादी पी०डब्लू० 1 से विस्तृत प्रति-परीक्षा की गयी। प्रति-परीक्षा में भी वादी पी०डब्लू० 1 ने कहा कि घटना वाले दिन राजू ने अपने घर के सामने रोक लिया था। सभी मुल्जिमान आसपास वहीं पर थे। वादी रोजाना उसी रास्ते से जाता था। वादी की अभियुक्तगण से पूर्व में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। प्रतिदिन वादी 11.00 बजे दुकान खोल देता था। गर्मी के दिन में 08.00 बजे खोल देता था। घटना वाले दिन सर्दियों का मौसम था। सर्वप्रथम गाली-गलौज राजू ने की थी और कहा था कि साले चमरा ज्यादा नेतागिरी करता है, किसी की बात नहीं सुनता है। घटना के समय आस-पास खड़े शुभकेश, रिषीकेश, चन्द्रकेश व प्रदीप ने जमीन पर गिरा कर मारापीटा था। पी०डब्लू० 1 ने प्रति-परीक्षा में यह भी कहा कि बंटी व मानपाल घर से निकलकर आये उस समय अभियुक्तगण उसे मार रहे थे। जिस समय मारपीट हो रही थी, उस समय साक्षीगण आ गये थे। चिल्लाने पर बंटी व मानपाल आ गये थे। अभियुक्तगण द्वारा मारपीट 2-3 मिनट तक की गयी, जिसमें वादी को 4-5 जगह चोटें आई थीं। डाक्टरी शिकोहाबाद सरकारी अस्पताल में कराये जाने का कथन किया गया और यह भी कथन किया कि डाक्टरी कराने के बाद वह थाने गया। उल्लेखनीय है कि मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल नहीं है। पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य में यह भी आया है कि 11.45 बजे थाने पर पहुंच गया था। जहां पर अभियुक्तगण पहले से थाने पर पहुंच गये थे। अभियुक्तगण ने उसे थाने पर बंद करा दिया और जेल भिजवा दिया था। तमंचे के आरोप में वादी ओमहरी को जेल भिजवा दिया गया। 11 तारीख को जेल से बाहर आया और 12-09-16 को पुनः थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया और रिपोर्ट नहीं लिखी तो 4-5 दिन बाद वादी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री भेजी गयी थी। वादी ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि यह मुकदमा

न्यायालय के आदेश से पंजीकृत हुआ। वादी ने यह स्वीकार किया है कि उसका मानसिक रोग सम्बन्धी उपचार चल रहा है। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि वादी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए उसके द्वारा दिये गये साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाये। बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क तथ्यों से परे है। यदि किसी व्यक्ति का मानसिक रोग का इलाज चल रहा हो, तो यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि घटना का पीड़ित नहीं हो सकता है और घटना के बारे में सत्य बाते बताने में असमर्थ है। वादी ने यह कथन किया कि उसका वादी से कोई पुराना झगड़ा रंजिश नहीं है। घटना स्थल पर वादी और अभियुक्तगण थे। जब वह चिल्लाया था तभी मौके पर बंटी और मानपाल आये थे। जिन लोगों ने उसे बचाया था। घटना स्थल का नक्शा नजरी वादी की निशानदेही पर बनाया गया था। दुकान पर जाने वाली बात विवेचक को नहीं बतायी थी, क्योंकि विवेचक द्वारा इस आशय का प्रश्न नहीं पूछा गया था। जाति सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी विवेचक को नहीं दिया गया, किन्तु अभियुक्तगण द्वारा इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया कि वादी ओमहरी जाटव जाति का नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से वादी पी०डब्लू० 1 को यह सुझाव दिया गया कि नेमसिंह के भाई के रूपये इंद्रपाल पर थे। इस तथ्य की जानकारी से वादी पी०डब्लू० 1 ने इंकार किया है। वादी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने और इन्द्रपाल ने नेम सिंह पर तमंचे से हमला किया था। इस बात से भी इंकार किया कि अभियुक्त चन्द्रवेश के लड़के पर तमंचे से कोई हमला किया हो। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि गांव वालों ने वादी को तमंचे के साथ पकड़ लिया था और उसे थाने ले कर गये थे। वादी द्वारा इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने रंजिश के कारण यह मुकदमा किया हो। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी बंटी पुत्र सुभकेश पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित किया गया। इस साक्षी ने भी दिनांक 10-09-2016 को समय 11.00 बजे की घटना होने का शपथपूर्वक कथन किया है। उस समय साक्षी अपने खेत पर जा रहा था। वहाँ पर झगड़ा हो रहा था। ओमहरी की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। साक्षी ने देखा था कि ओमहरी को 05 लोगों राजू, शुभकेश, चन्द्रकेश, रिषीकेश, प्रदीप मार रहे थे। लात, घूंसों से मारपीट कर रहे थे। जाति सूचक गालियां दे रहे थे। कह रहे थे कि साला चमरा ज्यादा नेता बनता है, आज तो बच गया है, अगली बार जान से मार देंगे। साक्षी ने कहा कि मैंने बीच-बचाव किया तब अभियुक्तगण ने जाने से मारने की धमकी देकर चले गये। विवेचक को बयान देना भी स्वीकार किया है। इस साक्षी से भी विस्तृत प्रति-परीक्षा की गयी। प्रति-परीक्षा में भी साक्षी घटना दिनांक 10-09-2016 को समय 11.00 बजे की होना कहा और कहा कि घटना वाले दिन मैं घर से खेत पर जा रहा था। खेत गाँव से पश्चिम दिशा में है। घर से खेत आधा किलोमीटर दूर है। अग्रेतर यह भी कहा

कि मैंने चिल्लाने की आवाज घर से निकलते ही सुनी थी। घर से घटना स्थल 100 मीटर दूर है। साक्षी ने घटना स्थल के सम्बन्ध में कहा कि घटना स्थल राजू के मकान के सामने है। राजू का घर उसके घर से दूर है। वहाँ घूमकर आना पड़ता है। मेरे घर से राजू का घर दिखाई नहीं देता है। तब राजू ने घटना को कैसे देख लिया। साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वादी के शोर मचाने पर बंटी और मानपाल मौके पर आये। पी०डब्लू० 2 बंटी ने कहा कि वादी घटना वाले दिन मोटरसाइकिल से जा रहा था। मोटरसाइकिल डिस्कवर थी। पुनः इस बात को दोहराया कि वादी के चीखने की आवाज सुनायी थी। तमंचे की आवाज नहीं सुनी थी। साक्षी को घटना स्थल पर पहुँचने में 1-2 मिनट का समय लगा होगा। साक्षी को इस बात की जानकारी नहीं है कि साक्षी से कोई तमंचा बरामद हुआ था और उसका कोई चालान हुआ था। बंटी ने यह भी कहा कि वादी और अभियुक्तगण का इस घटना से पहले कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। साक्षी को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि नेम सिंह के रूपये इंद्रपाल पर थे। अभियुक्तगण की ओर से दिये गये सुझाव से साक्षी ने स्पष्ट रूप से इंकार किया है। अभियोजन साक्षी मानपाल को पी०डब्लू० 3 के रूप में परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने घटना दिनांक 10-09-2016 को 11.00 बजे दिन की बतायी। उस समय साक्षी अपने घर से काम पर जा रहा था तो देखा कि ओमहरी चिल्ला रहा है। उसकी आवाज सुनकर साक्षी भी पहुंचा था। जहाँ पर राजू, शुभकेश, चन्द्रकेश, रिषीकेश, प्रदीप थे। यह सभी लोग ओमहरी को लात घूसों से मार रहे थे और गाली दे रहे थे कि तू साला चमरा बहुत बड़ा नेता बनता है। साक्षी ने यह भी कहा कि उसके साथ बंटी भी था। उसने ओमहरी को बचाया था और बंटी ने भी बचाया था। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गये। विवेचक के द्वारा उसके बयान भी लिये गये। इस साक्षी ने जिरह में स्वीकार किया कि वह जाटव जाति का है और अभियुक्तगण भी जाटव जाति के हैं। साक्षी चिनाई का काम करता है। प्रतिदिन 10 बजे या 11 बजे जाता है। चिनाई का काम गाँव में ही करता है। साक्षी ने कहा कि ओमहरी घर से दुकान पर घटना वाले दिन जा रहे थे। ओमहरी को मैंने घर से निकलते हुये नहीं देखा था। मैंने घटना स्थल पर ही लड़ाई होते देखा था। साक्षी का घर ओमहरी के घर से दूर है। उसका घर ओमहरी के घर से 100 मीटर दूर है। उसके घर से ओमहरी का घर दिखाई नहीं देता है। स्पष्ट रूप से साक्षी पी०डब्लू० 3 ने कहा कि उसने चिल्लाने की आवाज तथा बचाओं-बचाओ की आवाज सुनी थी। जब उसने आवाज सुनी थी तब वह घटना से थोड़ी दूर था। अग्रेतर कहा कि घटना स्थल पर बंटी भी था और मुल्जिम भी थी। आवाज सुनकर वह एक-डेढ मिनट में पहुंच गया था। ओमहरी बचाओ-बचाओ की आवाज कर रहा था। ओमहरी और अभियुक्तगण के बीच कोई झगड़ा हो तो उसे इसकी कोई

जानकारी नहीं है। साक्षी को इस बात की जानकारी नहीं है कि तमचा बरामद हुआ था। साक्षी ने दिये गये सुझाव से भी इंकार किया है। प्रस्तुत मामले के विवेचक स्वर्गवास हो चुका है। इस सम्बन्ध में द्वितीयक साक्षी के रूप में हेड कान्सटेबल 23 हरेन्द्र कुमार पैरोकार थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद को परीक्षित किया गया है। जो सन् 2016 में थाना सिरसागंज में पैरोकार के पद पर कार्यरत रहा था। इस घटना के विवेचक वी०के० तिवारी की मृत्यु हो चुकी है। प्रमाण पत्र व रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल होना कहा। उनके द्वारा तैयार किये गये नक्शा नजरी पर उनके हस्ताक्षर की पहचान किया। आरोप पत्र प्रदर्शक-5 पर भी मृतक विवेचक वी०के० तिवारी के हस्ताक्षर की पहचान किया है। पत्रावली पर नक्शा नजरी प्रदर्शक-4 के अवलोकन से विदित होता है कि अक्षर 'A' से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ पर वादी के साथ मारपीट व गाली-गलौज की गयी। अक्षर 'B' से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ पर गांव के व्यक्ति खड़े थे, जिन्होंने शोर मचाने पर वादी को बचाया। घटना स्थल के आस-पास आवासीय मकान हैं। घटना स्थल एक सार्वजनिक स्थान है। चक्षुदर्शी साक्षी क्रमशः पी०डब्लू० 2 व 3 गांव के हैं। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर उनके आवास हैं। जिस समय वादी के साथ अभियुक्तगण द्वारा गाली-गलौज और मारपीट की जा रही थी और जाति सूचक गालियां दी जा रही थी। उस समय वादी ने शोर मचाया था और शोर पर ही साक्षी बंटी और मानपाल पहुंचे थे और गाँव के अन्य लोग भी पहुंचे थे। वादी, चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा विवेचक को बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० दिये गये हैं। उन बयानों में और न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों में तारतम्यता है। उनमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। साक्ष्यों से यह बात सिद्ध है कि घटना वाले दिन अर्थात् 10-09-2016 को समय 11.00 बजे वादी मोटरसाइकिल से अपनी दुकान के लिए जा रहा था कि उसी समय राजू ने अपने घर के सामने रोक लिया और कहा कि साले चमरा ज्यादा नेता बनता है, किसी की बात नहीं सुनता है। वहीं पर खड़े अन्य अभियुक्तगण शुभकेश, चन्द्रवेश, रिषीकेश व प्रदीप भी थे। समस्त अभियुक्तगण ने एक राय होकर विधि विरुद्ध जमाव करते हुए वादी को सार्वजनिक स्थान पर यह जानते हुए कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है। वादी को जाति सूचक गालियां दी, स्वेच्छया उपहति कारित किया और जाति सूचक गालियां सार्वजनिक स्थान पर देते हुए वादी को अवमानित किया। वादी को लात, घूसों से मारपीटा गया और शारीरिक पीड़िता कारित की गयी तथा साशय उपहति कारित की गयी। गाली-गलौज देकर वादी को गंभीर प्रकोपन किया जिससे शान्ति भंग हुई। वादी को जान से मारने की धमकी दी। लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर धमकी दी और अभिन्नस्त किया गया, गाली-गलौज की गयी। अभियुक्तगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव

किया गया। उक्त विधि विरुद्ध जमाव सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में अपराध कारित करने के उद्देश्य से कारित किया गया। अभियोजन साक्षियों के बयान में किसी भी प्रकार का कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गयी है। साधारण उपहति के मामले में मेडिकल रिपोर्टज का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्तगण का और वादी का पूर्व में कोई झगड़ा नहीं था और ना ही कोई रंजिश नहीं थी, इसलिए रंजिशन फंसाये जाने का तर्क कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकता है। बचाव पक्ष की ओर से अ०सं० 872/16 की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 10-09-2016 को वादी ओमहरी के विरुद्ध सूर्या नामक व्यक्ति द्वारा पंजीकृत करायी गयी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट से सम्बन्धित मुकदमा विचाराधीन होना बताया गया है। चक्षुदर्शी साक्षी बंटी और मानपाल की घटना स्थल पर उपस्थिति प्रमाणित है। उनके द्वारा सम्पूर्ण घटनाक्रम देखा एवं सुना गया है। अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसारण में आरोपित अपराध कारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा बलवा किया गया, वादी को जाति सूचक गालियां दी, उसे मारापीटा गया, गंभीर प्रकोपन किया गया। अभियोजन द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों पर अविश्वास किये जाने का कोई तार्किक आधार नहीं है। न्यायालय का समाधान है कि अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध कारित किया गया है। प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करने के आशय से विधि विरुद्ध जमाव कर प्रत्येक अभियुक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था। वादी के साथ साधारण उपहति कारित की गयी और जान से मारने की धमकी दी गयी। वादी जाटव जाति का सदस्य है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147, 149, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट के आवश्यक तत्वों को विश्वसनीय साक्ष्यों के आलोक में युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्तगण राजू, शुभकेश, चन्द्रवेश, रिषीकेश एवं प्रदीप आरोप अन्तर्गत धारा 147,149,323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण राजू, शुभकेश, चन्द्रवेश, रिषीकेश एवं प्रदीप को आरोप अंतर्गत धारा 147,149,323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, ध, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

उनकी जमानतें व बन्ध पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा उनके जामीनदारों को दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 31.10.2023

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट

फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अपराध कारित किया गया है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदघोषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्तगण/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण एक परिवार व गरीब हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्तगण का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

(1) अभियुक्त राजू निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये

के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) द, ध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(2) अभियुक्त शुभकेश निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) द, ध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(3) अभियुक्त चन्द्रवेश निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) द, ध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डित प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(4) अभियुक्त रिषीकेश निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) द, ध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(5) अभियुक्त प्रदीप निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) द, ध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं।

अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये। अधिरोपित धनराशि में से पचास प्रतिशत धनराशि चोटहिल/ पीड़ित को अपील अवधि अथवा अपील के अन्तिम निस्तारण के उपरांत अदा की जाए।

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्तगण को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को प्रेषित की जाये। अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 31.10.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 31.10.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193